

अति आवश्यक

५५

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
कमांक : राजपत्रित/पीजी/2019/ दिनांक : 07/03/2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान ।

विषय:- प्री पीजी 2019 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सको के आवेदन पत्रों के सत्यापन  
बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्री पीजी 2019 में सेवारत कोटे से पात्र  
चिकित्सको के आवेदन पत्रों जो कि आपको दिनांक 06 व 07/03/2019 को सलग्न  
लिस्ट के साथ प्रेषित किये गये थे, उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों को पुनः प्रमाणित/जाँच कर  
सम्बन्धित सयुक्त निदेशक, जोन के माध्यम से प्रमाणित करवा कर लिपिक द्वारा दिनांक  
14.03.2019 तक निदेशालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा  
करावे ।

चिकित्सको की गणना योग्य अवधि को दिनो में अंकित करेगे एवं उसके लिये एक  
गोल सील बनवाना सुनिश्चित करें । गोल शील का प्रारूप निम्न प्रकार से होगा :-

“प्रमाणित किया जाता है कि डॉ०..... ने .....दिवस तक  
गणना योग्य सेवा की है ”

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित /पीजी/2019/ १७१५

दिनांक : 07/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कालेज, को भेजकर लेख है कि आपके  
अधिन प्री पीजी 2019 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सको के आवेदन पत्रों को उक्त  
नियत तिथी से पूर्व सत्यापन कर सम्बन्धित जोन को भिजवाये ।
- 2- सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, समस्त जोन को भेजकर लेख है कि  
आप अधिनस्थ कार्यालय प्री पीजी 2019 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सको के आवेदन  
पत्र प्राप्त कर इकजाई कर दिनांक 14.03.2019 तक प्रमाणित कर आवश्यक रूप से  
निदेशालय में जमा करवाये ।

3- जनरल सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को बेबसाईट पर  
इम्पोर्टेंट कॉलम में अपलोड करावे ।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।